

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021 — फाल्गुन 18, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22/2021/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला-रायपुर हेतु निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार आरक्षित वार्ड अधिसूचित करता है:-

अनुसूची

स.क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
01.	अनुसूचित जाति	2	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		15	छत्रपति शिवाजी
		22	डॉ.राधाकृष्णन वार्ड
02.	अनुसूचित जाति (महिला)	08	हरि ठाकुर वार्ड
		26	शहीद वीर नारायण वार्ड
03.	अनुसूचित जनजाति	27	जय बूढ़ादेव वार्ड
04.	अनुसूचित जनजाति (महिला)	10	बंजारी माता वार्ड
05.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	दानवीर भामाशाह वार्ड
		13	पं. रवि शंकर शुक्ल
		25	मॉ परमेश्वरी वार्ड
		29	डॉ. भीम राव अम्बेडकर
		30	भारत माता वार्ड
		34	इंदिरा गांधी वार्ड
06.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	40	डॉ रविन्द्र नाथ टैगोर
		04	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		21	कैलाश नगर वार्ड
07.	महिला	39	सरदार वल्लभ भाई पटेल
		1	गुरु घासीदास वार्ड
		6	शहीद कौशल यादव वार्ड
		11	ठाकुर प्यारे लाल वार्ड
		20	पं.सुन्दर लाल शर्मा वार्ड
		33	डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड

स.क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
		37	मिनीमाता वार्ड
		38	मौ कर्मा माता वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2021

क्रमांक एफ 1-22/2021/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22/2021/18 दिनांक 08-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 8th March 2021

NOTIFICATION

No. F 1-22/2021/18.— In exercise of the powers conferred by rule 7 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) the state Government hereby notify the reserve wards of Municipal Corporation Birgaon, Distt- Raipur as per the schedule given below:-

SCHEDULE

S.No.	Category of reserve ward	Ward No.	Name of the Wards
1	Scheduled Caste	2	Dr. Rajendra Prasad Ward
		15	Chhatrapati Shivaji Ward
		22	Dr. Radhakrishnan Ward
2	Scheduled Caste (Female)	08	Hari Thakur Ward
		26	Shaheed Veernarayan Singh Ward
3	Scheduled Tribe	27	Jai Budhadev Ward
4	Scheduled Tribe (Female)	10	Banjari Mata Ward
5	Other Backward class	03	Danveer Bhama shah Ward
		13	Pt. Ravi Shankar Shukla Ward
		25	Maa Parmeshwari Ward
		29	Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward
		30	Bharat Mata Ward
		34	Indira Gandhi Ward
		40	Dr. Ravindra Nath Tagore Ward
6	Other Backward class (Female)	04	Swami Vivekananda Ward
		21	Kailash Nagar Ward
		39	Sardar Vallabhbhai Patel Ward
7	Female	1	Guru Ghasidas Ward
		6	Shaheed Kaushal Yadav Ward
		11	Thakur Pyare Lal Ward
		20	Pt Sundar Lal Sharma Ward
		33	Dr. Khubchand Baghel Ward
		37	Minimata ward
		38	Maa Karma Mata Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.